



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

14 श्रावण 1943 (श०)

(सं० पटना 666) पटना, वृहस्पतिवार, 5 अगस्त 2021

Je l|k/ku foHkkx %Je i{k%

आदेश

2 अगस्त 2021

सं० 2/ई3-258/2018-42@श्र०सं०— माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एस०एल०पी०सं०-32079/ 2015 में पारित न्यायादेश के अनुपालन में मंत्रिपरिषद् के अनुमोदन से निर्गत शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-477 दिनांक-25.02.2020 के आलोक में अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशकों को अधिकतम उम्र सीमा को क्षांत करते हुए निम्नलिखित अनुदेशक को समायोजित करते हुए समूह-‘घ’ (कार्यालय परिचारी) के पद पर श्रमायुक्त, बिहार के नियंत्रणाधीन क्षेत्रीय कार्यालय में वेतन स्तर-1 प्रारंभिक वेतन 18000/- (18000-56900/-) में समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत जीवन यापन भत्ता एवं अन्य देय भत्तों सहित नितांत अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है :-

Ø010	Hkri0 vukipkj d f'k{kk vun'kd dk uke	firk dk uke	tUe frffk	tkfr@ dkfv	xg ft yk	inLFkkiu dk dk;ky;
1	2	3	4	5	6	7
1	मो० अंसारूल हक	मो० एनायत अली	12.05.1973	BC-2	किशनगंज	सहायक श्रमायुक्त का कार्यालय, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ

2. इनकी नियुक्ति नितांत अस्थायी होने के कारण बिना पूर्व सूचना के किसी भी समय समाप्त की जा सकती है।

3. समायोजन हेतु अधिकतम उम्र सीमा क्षांत की जाती है (संकल्प सं०-945 दिनांक-27.04.2017 का कंडिका-‘घ’ के आलोक में)।

4. योगदान के समय असैनिक शल्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा विहित प्रपत्र में प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

5. सामान्य प्रशासन विभाग (कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग) द्वारा निर्गत संकल्प संख्या-1919, दिनांक-18.01.1976 के अनुपालन में योगदान के समय दहेज नहीं लेने एवं देने संबंधी घोषणा-पत्र साथ ही संज्ञेय

अपराध में सजायापता नहीं रहने एवं किसी भी न्यायालय में किसी तरह का मामला लंबित नहीं रहने संबंधी अद्यतन शपथ पत्र भी संलग्न करना होगा।

6. बिहार पेंशन (संशोधन) नियमावली-2005 द्वारा प्रतिपादित वित्त विभाग के संकल्प सं०-1964, दिनांक 31.08.2005, एवं 768, दिनांक-03.07.2007 के अनुसार इन कर्मियों पर नई अंशदायी पेंशन योजना (N.P.S) लागू होगी।

7. यह नियुक्ति जन शिक्षा निदेशालय, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना से अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशकों के समूह-‘घ’ के पदों पर समायोजन हेतु प्राप्त अनुशंसा एवं अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्रों के आधार पर किया जा रहा है यदि कोई प्रमाण-पत्र या संबंधित कागजात किसी भी दृष्टिकोण से सम्पुष्टि के क्रम में असत्य या त्रुटिपूर्ण पाया जायेगा तो उनकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी और वेतनादि मद में प्राप्त की गयी राशि की वसूली के साथ-साथ फौजदारी मुकदमा भी चलाया जा सकता है।

8. शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-477 दिनांक-25.02.2020 के निर्गत किये जाने की संपुष्टि निदेशक, जन शिक्षा-सह-अपर सचिव, बिहार, पटना से होने के उपरान्त नियुक्ति की कार्रवाई की जा रही है।

9. सामान्य प्रशासन विभाग (कार्मिक एवं प्र०सु० विभाग) द्वारा निर्गत संकल्प सं०-2082, दिनांक 01.04.2003 के अनुपालन में प्रत्येक अभ्यर्थी को उनके अभिप्रमाणित फोटोयुक्त नियुक्ति पत्र उपलब्ध कराया जा रहा है। अभिप्रमाणित फोटोयुक्त नियुक्ति पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने पर योगदान स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

10. मो० अंसारूल हक पदस्थापित कार्यालय में अपना योगदान नियुक्ति पत्र निर्गत होने की तिथि से अधिकतम 15 (पन्द्रह) दिनों के अन्दर समर्पित करेंगे।

11. मो० अंसारूल हक को नियुक्ति पत्र प्राप्त करने/ योगदान हेतु पदस्थापित स्थान पर आने जाने के लिए कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

आदेश से,
रंजिता,
श्रमायुक्त, बिहार।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 666-571+10-डी०टी०पी०।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>